भारत में योजना आयोग (Planning Commission in India)

भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को हुई जिसके बारे में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने संकल्प पारित किया था। प्रो. ए. एच. हेन्सन के विचार से मन्त्रिमण्डल ने योजना आयोग को एक ऐसा अंग माना था जिसका कार्य केवल सलाह देना था। मन्त्रिमण्डल के संकल्प [संख्या पी. (सी.) 50, भारत का राज्यपत्र, 15 मार्च, 1950] में कहा गया था कि वास्तविक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संगत आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यकलापों से मुक्त हो, किन्तु जिसका सरकार से उच्चतम स्तर पर सम्पर्क हो। योजना आयोग इस उद्देश्य से स्थापित किया गया, जिसका मूल निदेश पद सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, सामूहिक हित में सम्पत्ति का बंटवारा और अर्थव्यवस्था का हितकारी विकेन्द्रीकरण के बारे में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों पर आधारित थे। अतः योजना आयोग के निम्नलिखित सात दायित्व थे :

(1) देश के भौतिक संसाधनों और जनशक्ति (तकनीकी व्यक्तियों सहित) का अनुमान लगाना तथा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार न संसाधनों की वृद्धि सम्भावनाओं का पता लगाना।

(2) देश के संसाधनों के सन्तुलित उपयोग के लिए अत्यन्त प्रभावकारी योजना बनाना।

Scanned with CamScanner

(3) योजना की क्रियान्विति के चरणों का निर्धारण तथा उनके लिए संसाधनों का नियमन करना।

(4) आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करना तथा योजना की सफल क्रियान्विति के लिए परिस्थिति निर्धारित करना।

(5) योजना के प्रत्येक चरण की सफल क्रियान्विति के लिए आवश्यक तन्त्र का स्वरूप निश्चित करना।

(6) समय-समय पर योजना की चरणवार प्रगति का अवलोकन तथा इस बारे में आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(7) आयोग के कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने अथवा वर्तमान परिस्थिति और विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अन्तिम सिफारिश करना अथवा केन्द्र या राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श देना।

योजना आयोग का संगठन
(ORGANIZATION OF THE PLANNING COMMISSION)

योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसका संगठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ। फलस्वरूप इसके स्वरूप एवं संगठन में विविध सरकारों द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा।

योजना आयोग की स्थापना करते समय इस बात पर जोर दिया गया कि उसे सौंपे गए दायित्वों को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि उसे रोजमर्रा के प्रशासन सम्बन्धी कार्यभार से मुक्त रखा जाए लेकिन नीति-निर्धारण के उच्चतम स्तर से वह निरन्तर सम्पर्क बनाए रखे। "भारत के प्रधानमन्त्री प्रारम्भ से ही योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और नीति सम्बन्धी सभी मुख्य विषयों के सम्बन्ध में भाग लेते रहे हैं और अपने निर्देश देते रहे हैं। आयोग में एक उपाध्यक्ष और कुछ पूर्णकालिक सदस्य हैं। कभी-कभी उपाध्यक्ष योजना मन्त्री भी होता है या योजना तैयार करने के लिए राज्य मन्त्री की सहायता प्राप्त करता है। शुरू से ही वित्त मन्त्री आयोग के सदस्य रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय रक्षा तथा कृषि, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास के केन्द्रीय मन्त्री भी योजना आयोग के सदस्य थे।

प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू को बनाया गया और पांच पूर्णकालिक सदस्य—वी. टी. कृष्णामाचारी, जी. एल. मेहता, एस. के पाटिल, गुलजारी लाल नन्दा एवं सी. डी. देशमुख मनोनीत किये गये। गुलजारी लाल नन्दा तथा सी. डी. देशमुख मन्त्री होते हुए भी इसके सदस्य बने रहे। समय-समय पर इसमें अन्य मन्त्री एवं विद्वानों को मनोनीत किया जाता रहा तथा प्रधानमन्त्री इसके पदेन अध्यक्ष बने रहे। 1967 में योजना आयोग के संगठन को लेकर विवाद हुआ। प्रधानमन्त्री तथा वित्त मन्त्री के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होने पर आपत्ति उठाई गई तथा इसे गैर-राजनीतिक संस्था बनाने पर बल दिया गया, लेकिन प्रधानमन्त्री इसके पदेन अध्यक्ष बने रहे। 1971 में प्रधानमन्त्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एवं नियोजन मन्त्री पदेन उपाध्यक्ष बनाये गये तथा अधिकांश योजना का कार्य नियोजन मन्त्रालय को सौंपा गया। जनता सरकार ने इसमें प्रधानमन्त्री के पदेन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (मन्त्री होना आवश्यक नहीं) तथा तीन कैबिनेट मन्त्री—वित्त, गृह एवं रक्षा—को अंशकालिक पदेन सदस्य तथा तीन पूर्णकालिक सदस्यों को रखा। इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। प्रधानमन्त्री की इच्छा से सदस्य नियुक्त होते हैं। व्यवहार में सरकार के बदलते ही योजना आयोग का पुनर्गठन हो जाता है। इसके सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रहती है।

योजना आयोग की रचना करते समय इस उद्देश्य को सामने रखा गया कि आयोग तथा मन्त्रिपरिषद् में निकटतम सम्बन्ध हो। इसलिए आयोग में विशेषज्ञों के साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति (मन्त्रीगण) शामिल किये जाते रहे हैं। पूर्णकालीन सदस्यों को आर्थिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट ख्याति के आधार पर नियुक्त किया जाता रहा है। आयोग के सदस्यों के लिए औपचारिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। उनकी नियुक्ति करते समय विभिन्न क्षेत्रों में उनके सार्वजनिक कार्यों तथा अनुभव पर विशेष बल दिया जाता है। मन्त्रिमण्डल के सांख्यिकीय सलाहकार भी आयोग की बैठकों में सम्मिलित होते हैं।

Scanned with CamScanner

योजना आयोग के सदस्यों को वही वेतन, भत्ता एवं दर्जा दिया जाता है जो कि मन्त्रियों को उपलब्ध है। आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मन्त्री के बराबर तथा सदस्यों का दर्जा राज्य मन्त्री के बराबर रखा गया है। आयोग के सभी सदस्य एक निकाय के रूप में कार्य करते हैं, किन्तु सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य को एक या एक से अधिक विषयों का प्रभारी बना दिया जाता है।

आयोग के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव हैं, दोनों अधिकारी 26,000 रुपये (नियत) वेतन प्राप्त कर रहे हैं। आयोग के विभिन्न स्तर के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और परामर्शदाताओं को तैनात किया जाता है।

क्या मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए? भारत में योजना आयोग की संरचना, भूमिका व स्थिति अत्यधिक विवाद का विषय रही है। इस प्रश्न पर काफी विवाद हो चुका है कि क्या मन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाना उचित है? कुछ विद्वानों के अनुसार योजना आयोग एक पूर्णतया स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए। इसका कार्य देश की प्रमुख आर्थिक समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना है। इसलिए इसके सदस्य ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होने चाहिए तथा उन्हें स्वायत्त रूप से कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। **प्रो. डी. आर. गाडगिल** ने लिखा है, "योजना आयोग द्वारा अपने प्रमुख कार्यों की उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यह एक विशाल शक्ति संगठन वन गया है तथा इसके सदस्यों में भी मन्त्रियों की भांति शक्ति व संरक्षण का प्रयोग तथा प्रदर्शन करने की एक स्वाभाविक इच्छा है। आयोग के अपने निर्धारित मार्ग से हटकर गलत मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को इस तथ्य से और भी सहायता मिली है कि स्वयं वित्तमन्त्री और प्रधानमन्त्री इसके सदस्य हैं।" भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की दृष्टि में, "आयोग को एक पूर्णतः तकनीकी परिषद् बनाया जाये और मन्त्री सदस्यों को उससे पृथक रखा जाये।" उसका यह भी सुझाव था कि प्रधानमन्त्री को भी उससे दूर रखा जाये जो कि प्रारम्भ से ही इसका अध्यक्ष रहा है। वस्तुतः दिसम्बर 1946 में नियुक्त परामर्शदाता नियोजन वोर्ड के अनुसार मौलिक रूप से योजना आयोग को एक समग्र गैर-राजनीतिक परामर्शदात्री परिषद् होना था।

प्रो. अरविन्द शर्मा के अनुसार, योजना आयोग की मन्त्रीय सदस्यता से जटिलता उत्पन्न होती है। वह यह कि आयोग के निर्णय राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उनकी उपेक्षा होती है। इसका समाधान यही है कि विशेषज्ञों की एक विशुद्ध विशेषज्ञ परिषद् को अंगीकृत किया जाये अथवा तकनीकी विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञों के संयुक्त आयोग की स्थापना की जाये जो राजनीतिज्ञों के प्रभाव को सीमित करेगा और विशेषज्ञों को उचित स्थान दे सकेगा।

वस्तुतः योजना आयोग के साथ प्रधानमन्त्री तथा कतिपय अन्य मन्त्रियों का सम्बन्ध होना नितान्त उपयुक्त है। मन्त्रियों के अभाव में आयोग के विशेषज्ञ सदस्यों के पास सामाजिक-राजनीतिक यथार्थवाद की दृष्टि का अभाव बना रहेगा। प्रधानमन्त्री व प्रभावशाली केन्द्रीय मन्त्रियों के आयोग में रहने से आयोग के निर्णयों को एक विशिष्ट प्रतिष्ठा व बल मिल जाता है। प्रधानमन्त्री और मन्त्रीगण न केवल केन्द्रीय सरकार व आयोग के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करते हैं, अपितु आयोग और संसद के मध्य भी सम्पर्क स्थापित करते हैं।

योजना आयोग का प्रशासनिक संगठन
(ADMINISTRATIVE SET-UP OF THE PLANNING COMMISSION)

योजना आयोग 'योजना मन्त्रालय' के अन्तर्गत आता है। आयोग अनेक तकनीकी/विषय विभागों के ज़रिए कार्य करता है। प्रत्येक तकनीकी/विषय विभाग किसी वरिष्ठ अधिकारी जिसे मुख्य सलाहकार/सलाहकार/अतिरिक्त सलाहकार/संयुक्त सचिव/संयुक्त सलाहकार के पदनामित एक वरिष्ठ अधिकारी होता है तथा जो सदस्य सचिव, योजना आयोग के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्ग निर्देशन में कार्य करता है। आयोग के सचिव के नेतृत्व में आयोग के कार्मिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई, जो 1952-53 में 300 थी वह 1997 में लगभग 1,721 तक पहुंच गई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य विस्तृत योजना निरूपण के मामले में एक संयुक्त संस्था के रूप में कार्य करते हैं। वे योजना आयोग में विषय से सम्बन्धित प्रभागों को योजना दृष्टिकोण की तैयारी, पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के लिए अपनाए गए विभिन्न कार्य-निष्पादनों में दक्ष परामर्श तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

Scanned with CamScanner

योजना आयोग के विभिन्न विभागों को दो भागों में विभाजित किया जाता है :

(क) सामान्य विभाग (General Divisions) जिनका सम्बन्ध समूची अर्थव्यवस्था से है; तथा

(ख) विषय विभाग (Subject Divisions) जिनका सम्बन्ध विकास के विशिष्ट क्षेत्रों से है।

(क) सामान्य विभाग (General Divisions)—योजना आयोग में कार्यरत सामान्य विभाग निम्न हैं :[1]

1. कम्प्यूटर सेवा प्रभाग, 2. वित्तीय संसाधन प्रभाग, 3. विकास नीति प्रभाग, 4. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग, 5. सामाजिक, आर्थिक अनुसन्धान एकक, 6. भावी योजना प्रभाग, 7. श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग, 8. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग, 9. राज्य योजना प्रभाग, 10. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग, 11. प्रबोधन तथा सूचना प्रभाग, 12. योजना समन्वय प्रभाग।

(ख) विषय विभाग (Subject Divisions)—योजना आयोग में कार्यरत 'विषय विभाग' निम्नलिखित हैं :

1. कृषि विभाग (Agriculture Division),
2. पिछड़ा वर्ग विभाग (Backward Classes Division),
3. संचार एवं सूचना विभाग (Communication and Information Division),
4. शिक्षा विभाग (Education Division),
5. ऊर्जा नीति विभाग (Energy Policy Division),
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Health and Family Welfare Division),
7. गृह निर्माण, शहरी विकास तथा जल आपूर्ति विभाग (Housing, Urban Development and Water Supply Division),
8. भारत-जापान समिति (Indo-Japan Committee),
9. उद्योग एवं खनिज विभाग (Industry and Mineral Division),
10. सिंचाई एवं कमाण्ड एरिया विकास विभाग (Irrigation & Command Area Development Division),
11. शक्ति एवं ऊर्जा विभाग (Power & Energy Division),
12. ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Division),
13. ग्रामीण ऊर्जा विभाग (Rural Energy Division),
14. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (Science and Technology Division),
15. समाज कल्याण एवं पोषाहार विभाग (Social Welfare and Nutrition Division),
16. परिवहन विभाग (Transport Division),
17. ग्रामीण एवं लघु उद्योग विभाग (Village and Small Industries Division),
18. पश्चिमी घाट सचिवालय (Western Ghats Secretariat),
19. पर्यावरण एवं वन प्रभाग (Environment and Forest Division)।

अन्य संस्थाएं (Other Bodies)

योजना आयोग तथा उसके विभिन्न विभागों तथा उप-विभागों के अतिरिक्त अनेक अन्य संस्थाएं भी हैं जो योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन से सम्बद्ध हैं, जिनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है :

(1) **राष्ट्रीय आयोजन परिषद्** (National Planning Council)—योजना आयोग प्रत्येक योजना के निर्माण के समय एक राष्ट्रीय आयोजन परिषद् का संगठन करता है जो आयोग को योजना सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करके परामर्श देती है। इस परिषद् में वैज्ञानिक, इन्जीनियर, अर्थशास्त्री तथा अन्य विशेषज्ञ होते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करके योजना आयोग को रिपोर्ट पेश करते हैं, जिन पर विवेचना भी होती है।

(2) **अनुसन्धान प्रोग्राम कमेटी** (Research Programmes Committee)—योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन अनुसन्धान प्रोग्राम कमेटी की स्थापना की जो योजना-निर्माण

[1] वार्षिक रिपोर्ट, 1993-94, भारत सरकार, योजना आयोग, पृ. 121-22.

Scanned with CamScanner

में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। समय-समय पर इस कमेटी में देश के विशिष्ट एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शोधकर्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, आदि नियुक्त किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध विश्वविद्यालय एवं शोध तथा अनुसन्धान संस्थाओं से होता है। यह कमेटी विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं को विकास के प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (Indian Statistical Institute), राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (National Council of Applied Economic Research), भारतीय आर्थिक वृद्धि संस्थान (Indian Institute of Economic Growth), आदि अनुसन्धान संस्थाओं द्वारा भी देश की महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के शोध कार्यों के लिए सहायता प्रदान करती है।

(3) **मन्त्रणा दल** (Advisory Bodies)—योजना आयोग को सलाह देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित मन्त्रणा दल या विशेषज्ञों की नामिका (panel) बनायी जाती है जो वर्ष में दो-तीन बार बैठकें करके विभिन्न नीतियों एवं प्रोग्रामों में अपनी सलाह देते हैं। ऐसे मन्त्रणा दल सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण और विद्युत परियोजनाओं के लिए जन सहयोग के लिए कमेटी; कृषि, भूमि-सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवास और प्रादेशिक विकास, आदि के लिए भी हैं। इनके अतिरिक्त संसद सदस्यों से परामर्श करने के लिए 'योजना आयोग के लिए संसद के सदस्यों की सलाहकार कमेटी' (Consultative Committee of Parliament for the Planning Commission) तथा 'प्रधानमन्त्री आयोजन के लिए अनौपचारिक सलाहकार समिति' (Prime Minister's Informal Consultative Committee for Planning) भी है। योजना आयोग योजना-निर्माण से पहले और बाद में निजी क्षेत्र की वाणिज्य एवं उद्योगों से सम्बद्ध अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी परामर्श करता है; जैसे Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, The Associated Chambers of Commerce of India, All India Manufactures Organization, इत्यादि।

(4) **सम्बद्ध दल** (Associated Bodies)—योजना के निर्माण में कुछ सम्बद्ध दल भी सहायता करते हैं; जैसे विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक का अर्थशास्त्र विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organization)। इन संस्थाओं के द्वारा योजना आयोग विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अध्ययन करवाता है तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन विस्तृत आंकड़े एकत्र करके योजना के निर्माण तथा मूल्यांकन के लिए आयोग की सहायता करता है।

(5) **कार्यकारी दल** (Working Groups)—योजना निर्माण के समय आयोग अनेक कार्यकारी दल नियुक्त करता है जिन पर विभिन्न समस्याओं से सम्बद्ध विशेषज्ञ होते हैं। ये दल योजना-निर्माण के लिए विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं जिनके आधार पर योजना बनायी जाती है। उदाहरणार्थ, तृतीय योजना के निर्माण के समय 22 कार्यकारी दल बनाये गये जबकि छठी योजना के लिए 21 कार्यकारी दल थे। ये संसाधनों, कृषि, इस्पात, मशीनरी, ईंधन, शिक्षा, आदि से सम्बद्ध थे।

(6) **मूल्यांकन समितियां** (Evaluation Committees)—योजना के संचालन का मूल्यांकन करने हेतु आयोग ने मूल्यांकन समितियां स्थापित की हुई हैं जैसे 'योजना परियोजनाओं पर समिति' (Committee on Plan Projects) तथा 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (Programme Evaluation Organization)। पहली कमेटी परियोजनाओं के प्रबन्ध, प्रशासन और निर्माण-लागतों की किफायतों से सम्बद्ध समस्याओं का मूल्यांकन करती है जबकि '**कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन**' का मुख्य कार्य मूल्यांकन का अध्ययन करना है जिसमें (1) निर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना कार्यक्रमों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, (2) लाभ प्राप्त करने वालों पर उनके प्रभाव का आकलन करना, (3) जनसमुदाय की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर प्रभाव, (4) अपनाई गई प्रक्रिया समुचितता का मूल्यांकन, आदि।

(7) **राष्ट्रीय विकास परिषद्** (National Development Council)—केन्द्र और राज्यों में विधायी शक्ति के विषयों में विभाजन को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भागीदार होना भी उतना ही अनिवार्य था। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना करनी पड़ी जो संवैधानिक निकाय नहीं है और मुख्यमन्त्री जिसके पदेन सदस्य हैं। **प्रो. सी. पी. भाम्भरी** के अनुसार, "योजना सम्बन्धी मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी है।"

Scanned with CamScanner

इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे :

(1) योजना की सहायता के लिए राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील करना।

(2) सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अपनाने को प्रोत्साहित करना।

(3) देश के सभी भागों के तीव्र तथा सन्तुलित विकास के लिए प्रयास करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना।

(2) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों सम्बन्धी विषयों पर विचार करना।

(3) राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना।

पंचवर्षीय योजना के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब तक योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक योजना प्रारूप योजना का अन्तिम रूप धारण नहीं करता। राष्ट्रीय विकास परिषद् में राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की सदस्यता तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों की ओर से एक प्रकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। माइकेल ब्रेचर के अनुसार, "राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजनाओं के निर्धारण में दृष्टिकोण की एकरूपता एवं कार्य-संचालन में समानता उत्पन्न की है। परिषद् के सदस्य सत्ताधारी नीति के निर्माता हैं, उनके मत की योजना आयोग तथा मन्त्रिमण्डल किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।"[1]

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 23-24 दिसम्बर, 1991 की बैठक में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1991-97) के उद्देश्य दस्तावेज को मंजूरी दी तथा मई 1992 की बैठक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को स्वीकृति प्रदान की।

(8) **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र** (N.I.C.)—राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र अपने उपग्रह पर आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क 'निकनेट' के माध्यम से केन्द्र सरकार के 60 विभागों 32 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और 450 जिला प्रशासनों के प्रवन्धन सहायता देने की प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी डाटा बेस माडललेस और सूचना आधार का विकास करने, निर्णय लेने में सहायक प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, फाइलरहित कार्य की संकल्पना, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा बहुसंचार माध्यम आधारित आयकर प्रशिक्षण और दूरसंचार विज्ञान सेवाएं शुरू करने के लिए योजना आयोग के अधीन भारत सरकार का नोडल वैज्ञानिक व तकनीकी संगठन है।

Scanned with CamScanner